2 हजार मेगावाट बिजली के लिए यूपी के साथ एमओयू

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 अगस्त. मप्र और उत्तर प्रदेश ने अपनी अलग-अलग मौसमी विद्युत मांग का लाभ उठाते हुए बिजली संसाधनों के बेहतर उपयोग और खरीद लागत में कमी की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है.

एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच पूरक विद्युत खरीद तथा दीर्घकालिक फर्म पावर बैंकिंग व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर शुक्रवार को लखनऊ में हस्ताक्षर किए गए. इस पहल के तहत दोनों राज्यों में 2000 मेगावॉट पीक पॉवर क्षमता की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से खरीद शुरू करने पर सहमति बनी है.

एमओयू पर एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक गैर-पारंपरिक ऊर्जा जीएस. खनूजा और उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के निदेशक प्लानिंग दीपक रैजादा ने हस्ताक्षर किए. दरअसल एमओयू का आधार दोनों राज्यों में बिजली की मौसमी मांग का अलग-अलग होना है. मध्यप्रदेश में अक्टूबर से मार्च के दौरान रबी सीजन में कृषि क्षेत्र की बिजली मांग बढ़ती है, जबकि उत्तर प्रदेश में मई से सितंबर के बीच खरीफ सीजन और गर्मियों में बिजली की मांग अधिक रहती है. मांग के इस पूरक स्वरूप से एक राज्य के कम मांग वाले समय में उपलब्ध अतिरिक्त बिजली का दूसरे राज्य की अधिक मांग वाले समय में बेहतर उपयोग किया जा सकेगा. इस व्यवस्था से उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के साथ ही दोनों राज्यों को महंगी अल्पकालिक बिजली खरीद पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.

फर्म पावर बैंकिंग से जरूरत के समय मिलेगा अतिरिक्त बिजली संसाधन: एमओयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दीर्घकालिक फर्म पावर बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में काम करना है. इसके तहत जिस राज्य में कम मांग के समय अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी, उसे दूसरे राज्य को उसके अधिक मांग वाले समय में उपलब्ध कराया जा सकेगा. इससे बिजली संसाधनों का वर्षभर बेहतर उपयोग, ग्रिड में लचीलापन, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

चौदह हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना

एमओयू के तहत दोनों राज्यों ने 2000 मेगावॉट पीक पॉवर क्षमता की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से खरीद की दिशा में प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति दी है. प्रस्तावित मॉडल से विद्युत संसाधनों की साझा उपयोगिता बढ़ेगी, उत्पादन परिसंपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल होगा तथा भविष्य की बिजली जरूरतों के लिए दीर्घकालिक संसाधन पर्याप्तता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. इस पहल से बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में करीब 14 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है. इससे नई विद्युत एवं ऊर्जा अवसंरचना के विकास, रोजगार के अवसरों और स्वच्छ ऊर्जा क्षमता के विस्तार को भी गति मिलने की उम्मीद है.

प्रदेश में ए श्रेणी की 47 मंडियां

आवक और आय के हिसाब से मंडियों का नए सिरे से वर्गीकरण

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 अगस्त. मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने दस वर्ष के अंतराल के बाद प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों का नवीन वर्गीकरण किया है.

मंडी समितियों का यह नवीन वर्गीकरण विगत तीन वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 की औसत कृषि उपज आवक तथा औसत आय के आधार पर किया गया है. वर्तमान में मप्र में 259 कृषि उपज मंडी समितियां तथा 298 उपमंडियां किसानों की सेवा में कार्यरत हैं. नवीन वर्गीकरण से प्रदेश की मंडी व्यवस्था को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप और अधिक प्रभावी एवं सक्षम बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है.

नवीन वर्गीकरण के तहत प्रदेश की 259 मंडी समितियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है. इनमें 47 मंडी समितियां ए वर्ग, 63 मंडी समितियां बी वर्ग, 81 मंडी समितियां सी वर्ग तथा 68 मंडी समितियां डी वर्ग में रखी गई हैं.

10 साल बाद बैरसिया मंडी फिर ए ग्रेड में

बैरसिया. दस साल के लंबे अंतराल के बाद बैरसिया कृषि मंडी उपज मंडी की तस्वीर फिर बदलने जा रही है. मंडी की लगातार बढ़ती आय ओर उपज की आवक ने मंडी को दोबारा ए ग्रेड की श्रेणी में पहुंचा दिया है. नये ग्रेड के साथ मंडी की प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी ओर किसानों के लिए सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है. शुक्रवार को मंडी सचिव सुनील कुमार भालेकर ने नवभारत को बताया कि कृषि उपज मंडियों की करीब दस वर्ष बाद ग्रेडिंग हुई है. सालाना 10 करोड़ रुपए से अधिक आय वाली मंडियों को ए ग्रेड में रखा है. इसमें कृषि मंडी बैरसिया का नाम है.

वारंट की राशि मांगने पर कर्मचारी से दुर्व्यवहार

भोपाल . छोला मंदिर थाना पुलिस ने न्यायालय के कुर्की वारंट की कार्रवाई के दौरान शासकीय कर्मचारी जगमोहन विश्वकर्मा से गाली-गलौज और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में प्रमोद विश्वकर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. मामला जिला न्यायालय के प्रकरण में जारी कुर्की वारंट के निष्पादन से जुड़ा है. पुलिस के अनुसार नारियल खेड़ा निवासी जगमोहन विश्वकर्मा जिला न्यायालय नजारत में प्रोसेस सर्वर के पद पर पदस्थ हैं. वे एक वारंट की तामील के संबंध में धनराशि वसूलने गए थे, तभी उनके साथ प्रमोद विश्वकर्मा ने दुर्व्यवहार किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग

- शिक्षकों ने भूख हड़ताल की दी चेतावनी

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 21 अगस्त. प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-2) और प्राथमिक शिक्षक (वर्ग-3) भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेशभर से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने नीलम पार्क में फिर से मोर्चा खोल दिया है.

शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने शासन-प्रशासन के रवैये से नाराज होकर चेतावनी दी है कि अगर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे. अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं. मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग में कुल 2 लाख 89 हजार 5 स्वीकृत पदों में से केवल 1 लाख 74 हजार 419 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 1 लाख 15 हजार 678 पद खाली हैं. इसके अलावा प्रदेश के 83 हजार 514 विद्यालयों में से 1 घर 968 स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं. वहीं 46 हजार 417 विद्यालयों में महज दो शिक्षक कार्यरत हैं. अभ्यर्थियों का तर्क है कि जब इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं, तो नाममात्र के पदों पर भर्ती निकालकर योग्य युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

पैलेट गन से छात्रों पर फायरिंग के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

- दोषियों पर एफआईआर की मांग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 21 अगस्त . दिल्ली में हाल ही में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित तौर पर पैलेट गन से फायरिंग किए जाने के विरोध में भोपाल शहर कांग्रेस ने शुक्रवार को रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया.

कार्यकर्ताओं ने घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की. भोपाल शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घायल छात्रों को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है. कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रभावित छात्रों के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे थे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी.

मंडीदीप में घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे

नवभारत न्यूज

मंडीदीप, 21 अगस्त. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मंडीदीप में खाद्य विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की गई.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र नोनिया की टीम ने मौके से भारी मात्रा में संदिग्ध घी के डिब्बे और पैकेट बरामद किए हैं, बरामद किए गए घी के सैंपल (नमूने) लेकर उन्हें तत्काल प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है.

खाद्य अधिकारी नोनिया के अनुसार, रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे. मण्डीदीप में पारसनाथ एजेन्सी से श्री रत्नागिरी गाय के घी के दो अलग-अलग बैच, नोवा शुद्ध घी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गये हैं. इसके अलावा मौके पर रखा हुआ 36960 रुपए मूल्य का 77 लीटर घी जब्त कर बिक्री रिपोर्ट आने तक रोकी गई है.

शिवशंभू भोजनालय से फैट स्प्रेड का नमूना लिया गया है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित खाद्य विक्रताओं के विरूद्ध गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी.

बटर मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट है, जबकि फैट स्प्रेड हाइड्रोजनेड फेट, पामोलिन ऑइल एवं अन्य ऑयल से मिलकर बना होता है.

पिता के बाद बेटे ने किया सुसाइड

भोपाल. स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र के द्वारिका नगर में शुक्रवार को 28 वर्षीय युवक का शव चबूतरे पर लगे नीम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला. पुलिस के अनुसार राजेश कुशवाहा बेरोजगार और अविवाहित था. प्राथमिक जांच में बेरोजगारी से परेशान होने की आशंका जताई जा रही है. परिजन के मुताबिक राजेश रात में घर पर था, लेकिन सुबह वह कब बाहर निकला, इसकी जानकारी नहीं है. करीब छह बजे मोहल्ले के लोगों ने शव देखा. राजेश के पिता भी दो साल पहले आत्महत्या कर चुके हैं.

कमेंट के विरोध में पिता-पुत्र पर तलवार से हमला

भोपाल. बागसेवनिया थाना क्षेत्र के दुर्गा नगर में युवती पर कमेंट करने को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद चार युवकों ने पिता-पुत्र पर तलवार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया. पुलिस ने मयंक की शिकायत पर चार आरोपियों विशाल, रवि, आकाश और एक अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है.

कोलार में सूने मकानों पर चोरों का धावा

भोपाल. कोलार इलाके में चोरों ने दो सूने मकानों और एक पुस्तकालय को निशाना बनाकर हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया. दानिश हिल्स निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी रतनलाल शाक्य मकान में ताला लगाकर बेटे के पास पुणे गए थे. पड़ोसी ने ताला टूटा देखकर उन्हें सूचना दी. चोरी गए सामान का पता उनके लौटने के बाद चलेगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. वहीं राजवेद कॉलोनी निवासी राहुल लोखंडे के घर से चोर सोने की अंगूठी, गुल्लक में रखी नकदी और चाबी चोरी कर पार्किंग में खड़ी स्कूटर भी ले गए. पुलिस ने यह भी मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

कार्यालय नगर पालिक निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म .प्र .)

क्रमांक/4311/ई-टेण्डरिंग/2025-26 सिंगरौली, दिनांक 21/08/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट http://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर		कार्य का नाम	कार्य		निविदा प्रपत्र		निविदा की
	क्रमांक	जारी दिनांक		समयावधि	लागत	मूल्य	EMD	अंतिम तिथि
1	2026 UAD _531348_1	21-08-2026	Selection of Bus Operator for Procurement Operation and Maintenance of 2 Numbers of 12 Meter Electric AC Buses on different Intercity Routes for SCTSL 6th call	120 Months	3,00,00,000	20,000	3,00,000	09/09/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संसोधन का प्रकाशन ऑनलॉईन http://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा. पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा.

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम सिंगरौली

होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र
टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान

नेशनल ओलंपियाड प्रोग्राम 2026-2027

खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जूनियर साइंस

इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के इच्छुक सभी स्टूडेंट्स को 21 और 22 नवंबर, 2026 को होने वाली संबंधित नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस (NSEs) (साइंस विषयों के लिए) में शामिल होना होगा,

जिसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ फि ज़िक्स टीचर्स (क्अढळ) आयोजित करता है NSE में क्वालिफाई करना, 2027 के संबंधित इंटरनेशनल ओलंपियाड में हिस्सा लेने की दिशा में पहला कदम है।

एनरोल करने के लिए:

NSEs: https://www.iapt.org.in (21 अगस्त - 14 सितंबर, 2026)

अधिक जानकारी के लिए: https://olympiads.hbcse.tifr.res.in
https://www.iapt.org.in

CBC 48143/11/0005/2627

एन टी पी सी लिमिटेड

एनटीपीसी NTPC (भारत सरकार का उद्यम)

जिस किसी से भी संबंधित हो

एनटीपीसी-विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट से पात्र परियोजनाओं जैसे सड़क परियोजनाएँ/माइन बैकफिलिंग एवं ओबी मिक्सिंग/तटीय संरक्षण आदि हेतु फ्लाई ऐश निःशुल्क उपलब्ध कराने संबंधी सूचना (प्रचलित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना एवं नीति के अनुसार)-वित्तीय वर्ष 2026-27

सूचना संख्या : VSTPS/POND ASH/2026-27/02 **दिनांक : 22.08.2026**

यह सूचना फ्लाई ऐश उपयोग पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 के अनुपालन में है, जो सड़क बिछाने, सड़क एवं फ्लाईओवर तटबंधों, तटीय जिलों में तटरेखा संरक्षण संरचनाओं तथा बाँधों जैसी निर्माण गतिविधियों में संलग्न एजेंसियों के लिए है, जो एनटीपीसी विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट से 300 किमी. की परिधि के भीतर हैं।

निर्माण गतिविधियों जैसे सड़क परियोजना/खान बैकफिलिंग एवं ओबी मिक्सिंग/तटरेखा संरक्षण आदि के लिए ऐश की आवश्यकता रखने वाले 300 किमी. की परिधि के भीतर के इच्छुक ऐश उपयोगकर्ता, ऐश आपूर्ति के लिए अपनी आवश्यकता प्रस्तुत कर सकते हैं। एनटीपीसी विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट ऐश **'निःशुल्क'** तथा **'जहाँ है, जैसा है'** आधार पर आपूर्ति कराएगा तथा परिवहन लागत वहन करेगा।

इच्छुक पक्षों से अनुरोध है कि वे अपनी आवश्यकताएँ निर्धारित मानक प्रारूप में **hemantmeena@ntpc.co.in / smpandey@ntpc.co.in** पर **01.09.2026 को 18 बजे तक** प्रस्तुत करें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया 9413354884 अथवा 9650997385 पर संपर्क करें।

इस सूचना के लिए प्रस्तावित फ्लाई ऐश की मात्रा 'सामान्य जानकारी' में संपर्क विवरण तथा ई-मेल पते सहित उल्लिखित है।

आवेदन कैसे करें

इच्छुक ऐश उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे 'सामान्य जानकारी' में दिए गए ई-मेल पतों पर निर्धारित मानक प्रारूप में अपनी आवश्यकताएँ प्रस्तुत करें।

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए **'सामान्य जानकारी'** तथा **'आवेदन के लिए मानक प्रारूप'** **https://ntpctender.ntpc.co.in/** पर अपलोड किए गए हैं।

पंजी. कार्यालय : एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 **वेबसाइट www.ntpc.co.in, सीआईएन :** L40101DL1975GOI007966

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

उत्तर मध्य रेलवे

निविदा सं.: झाँसी-एम-डीजल-डब्ल्यू0सी0-टी-04-2026-27 **दिनांकः** 19.08.2026

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से वरि. मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल), उत्तर मध्य रेल, झाँसी द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये ऑनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

कार्य का विवरणः डीजल लोको शैड, झाँसी में स्टोर डिपो और ल्यूब ऑयल स्टोरेज व डिस्ट्रीब्यूशन सुविधा का अपग्रेडेशन, नवीनीकरण और आधुनिकीकारण।

निविदा मूल्यः ₹ 47,46,500.00	**बयाना राशिः** ₹ 94,900/-
निविदा प्रपत्र कीमतः ₹ 0.00	**निविदा बंद होने की तिथिः 18.09.2026**

समापन अवधिः 06 माह। निविदाकार **दिनांक 18.09.2026** को **15.00 बजे** तक निविदा आनलाईन जमा कर सकेगें। पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेल के बेवसाईट **http://www.ireps.gov.in** पर देखें। **1922/26 (A)**

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

कब्जे की सूचना - (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL द्वारा यहां उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित प्रभारित किया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां "IIFL HFL" द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएंगी और सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "IIFL HFL" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री तेजराम पटेल श्रीमती उर्मिला (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10806211)	प्लॉट नंबर 62 का पूरा हिस्सा, इंदिरा परिसर, खसरा नंबर 489/2/2, ग्राम सिलारी, पीएच नं. 19, देवरी, मध्य प्रदेश 470226 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): प्रॉपर्टी का प्रकारः प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल क्षेत्रफलः 644	रू. 5,29,747/- पाँच लाख उनतीस हजार सात सौ सैंतालीस मात्र	14-05-2026	18-08-2026

अधिक जानकारी के लिए कृपया अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: ब्रांच ऑफिस - 249, द इन्फिनिटी, पहली मंज़िल, M.P.नगर जोन II, तुलसी होटल के पास, भोपाल-462011 / या कॉपो. ऑफिस-प्लॉट नं.98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा।

स्थानः भोपाल **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांकः 22.08.2026 **आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।**

पश्चिम मध्य रेल

खुली निविदा

निम्नलिखित कार्य के ई-निविदा भारत संघ के राष्ट्रपति के पक्ष में वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) मंडल रेल प्रबंधक (कार्य), पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के द्वारा आमंत्रित की जाती है। **(1) निविदा सूचना क्रमांकः** डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी.-153-2026, दिनांकः 14/08/2026 **कार्य का नाम लोकेशन सहितः** वरिष्ठ मंडल अभियंता (उत्तर) जबलपुर के क्षेत्राधिकार में 21 नग कर्व पर ट्रैक माउंटेड ऑटोमैटिक गेज फेस लुब्रिकेटरों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग एवं अनुरक्षण का कार्य। **कार्य का अनुमानित मूल्यः** ₹3,58,01,890/- **बयाना राशिः** ₹ 3,29,000/- **समापन अवधिः** 60 माह **(2) निविदा सूचना क्रमांकः** डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी.-154-2026, दिनांकः 14/08/2026 **कार्य का नाम लोकेशन सहितः** मंडल अभियंता (मध्य) जबलपुर के क्षेत्राधिकार में 13 नग कर्व पर ट्रैक माउंटेड ऑटोमैटिक गेज फेस लुब्रिकेटरों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग एवं अनुरक्षण का कार्य । **कार्य का अनुमानित मूल्यः** ₹2,21,63,075/- **बयाना राशिः** ₹ 2,60,800/- **समापन अवधिः** 60 माह **(3) निविदा सूचना क्रमांकः** डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी.-155-2026, दिनांकः 17/08/2026 **कार्य का नाम लोकेशन सहितः** सीनियर डिविज़नल इंजीनियर (पश्चिम) जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दमोह सेक्शन में कर्व्स (मोड़) पर ट्रैक-माउंटेड ऑटोमैटिक गेज फेस लुब्रिकेटर्स (52 नग) की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और मेंटेनेंस का कार्य। **कार्य का अनुमानित मूल्यः** ₹8,86,52,300/- **बयाना राशिः** ₹ 5,93,300/- **समापन अवधिः** 60 माह **(4) निविदा सूचना क्रमांकः** डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी.-156-2026, दिनांकः 17/08/2026 **कार्य का नाम लोकेशन सहितः** सीनियर डिविज़नल इंजीनियर (पश्चिम) जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में असिस्टेंट डिविज़नल इंजीनियर सागर सेक्शन के अंतर्गत कर्व्स (मोड़ों) पर ट्रैक माउंटेड ऑटोमैटिक गेज फेस लुब्रिकेटर्स की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और मेंटेनेंस- 54 नग का कार्य। **कार्य का अनुमानित मूल्यः** ₹9,20,62,004/- **बयाना राशिः** ₹ 6,10,300/- **समापन अवधिः** 60 माह **(5) निविदा सूचना क्रमांकः** डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी-157-2026, दिनांकः 17/08/2026 **कार्य का नामः** वरिष्ठ मंडल अभियंता (दक्षिण) जबलपुर के क्षेत्राधिकार में 31 नग कर्व पर ट्रैक माउंटेड ऑटोमैटिक गेज फेस लुब्रिकेटरों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग एवं अनुरक्षण का कार्य। **कार्य का अनुमानित मूल्यः** ₹5,28,50,410/- **बयाना राशिः** ₹ 4,14,300/- **समापन अवधिः** 60 माह **(6) निविदा सूचना क्रमांकः** डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी.-158-2026, दिनांकः 17/08/2026 **कार्य का नाम लोकेशन सहितः** मंडल अभियंता (पूर्व) जबलपुर के क्षेत्राधिकार में 98 नग कर्व पर ट्रैक माउंटेड ऑटोमैटिक गेज फेस लुब्रिकेटरों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग एवं अनुरक्षण का कार्य। **कार्य का अनुमानित मूल्यः** ₹16,70,75,488/- **बयाना राशिः** ₹ 9,85,400/- **समापन अवधिः** 60 माह. **निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का समय 15.00 बजे तकः** टेंडर नं. 1, 2, 3, 4, 5 व 6 के लिए तिथि- 11.09.2026 **निविदा खुलने की अंतिम तिथि का समय 15:15 बजेः** टेंडर नं. 1, 2, 3, 4, 5 व 6 के लिए तिथि- 11.09.2026. उपरोक्त ई-निविदा की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट https://ireps.gov.in पर उपलब्ध है एवं इसकी पूरी जानकारी मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) कार्यालय, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर रखी गई है। ई-निविदा के अलावा उपरोक्त कार्य के लिए कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(हस्ता.)
मंडल रेल प्रबंधक (कार्य), प.म.रे., जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

कब्जा नोटिस

IIFL-HFL ने 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' (जिसे आगे 'उक्त एक्ट' कहा गया है) के प्रावधानों और उक्त एक्ट की धारा 13 (12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए - साथ ही 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' (जिसे आगे 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 3 के तहत - उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, गारंटर और मॉर्गेजर (गिरवी रखने वाले) को बकाया राशि चुकाने के लिए एक डिमांड नोटिस जारी किया था। इस राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। इसके बाद, IIFL-HFL ने 30-11-2025 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के जरिए, उधारकर्ता/गारंटर/मॉर्गेजर से बकाया कर्ज.(जो IIFL-HFL द्वारा दी गई सुविधाओं से उत्पन्न हुए थे) और उनसे जुड़ी अचल संपत्ति से संबंधित अपने सभी अधिकार, मालिकाना हक, हित और लाभ 'एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड' (Arcil) को सौंप दिए। Arcil ने यह काम 'Arcil' - Trust - 2026 - 015' के ट्रस्टी के तौर पर, सिक्योरिटी रिसीट्स के धारकों के फायदे के लिए किया है। इसलिए, इस असाइनमेंट के कारण, अब IIFL-HFL की जगह Arcil' आ गई है। अब Arcil को उधारकर्ता/गारंटर/मॉर्गेजर के खिलाफ सभी तरह की कानूनी कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का अधिकार होगा। साथ ही, वह उन वित्तीय दस्तावेजों के तहत अपने अधिकारों और लाभों को लागू कर सकेगी - जिसमें गारंटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करना भी शामिल है - जिन्हें उधारकर्ता/गारंटर/मॉर्गेजर ने वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए निष्पादित और निर्मित किया था। क्योंकि उधार लेने वाले/गारंटर/गिरवी रखने वाले ने बताई गई रकम नहीं चुकाई है, इसलिए उधार लेने वाले/गारंटर/गिरवी रखने वाले और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि Arcil के अधिकृत अधिकारी के तौर पर, नीचे बताई गई अचल संपत्ति का कब्जा ले लिया गया है। यह कार्रवाई उस कानून की धारा 13 की उप-धारा (4) और उससे जुड़े नियमों के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "जैसी है, जहाँ है और जो कुछ भी है, उसी हालत में" के आधार पर नीचे दी गई तारीख को की गई है।

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री सुनीता भूपेन्द्र सिंह श्रीमती भूपेन्द्र भगवान सिंह तुलजा भवानी टिफिन सेंटर (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10478073)	ख.नं.2586/3/1/2, पीएच नं. 60 (नया-02), वार्ड नंबर 34, हलाली कॉलोनी के पीछे, विदिशा, मध्य प्रदेश 464001 से संबंधित जमीन का प्लॉट। क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): प्रॉपर्टी का प्रकारः जमीन का एरिया, बना हुआ एरिया प्रॉपर्टी का एरियाः 450.00, 450.00	रू. 7,41,308.97/- (सात लाख इकतालीस हजार तीन सौ आठ और सत्तानवे पैसे मात्र)	05-01-2026	19-08-2026

खास तौर पर उधार लेने वाले/गारंटर/गिरवी रखने वाले और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि ऊपर बताई गई अचल संपत्ति का कानूनी कब्जा Arcil के पास है। SARFAESI एक्ट, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधार लेने वाले/गारंटर/गिरवी रखने वाले या कोई भी अन्य व्यक्ति, इस नोटिस को मिलने के बाद, Arcil की पहले से लिखित मंजूरी के बिना इस अचल संपत्ति को बेचकर, लीज पर देकर या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर या हस्तांतरित नहीं करेगा। इस अचल संपत्ति से जुड़ा कोई भी लेन-देन ऊपर बताई गई रकम के लिए Arcil के अधिकार (चार्ज) के अधीन होगा, जिसमें उस रकम पर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार भविष्य का ब्याज और उससे जुड़े खर्च, लागत, शुल्क आदि भी शामिल होंगे।

उधार लेने वालों/गारंटर/गिरवी रखने वालों का ध्यान उक्त एक्ट की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो ऊपर बताई गई अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

स्थानः भोपाल **हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी,**
दिनांकः 22.08.2026 **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी की हैसियत से)**

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड CIN No. -U65999MH2002PLC134884

रजिस्टर्ड ऑफिसः द रूबी, 10वीं मंज़िल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028. फोनः +91 2266581300. वेबसाइटः www.arcil.co.in

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED

Group Company of peoplehome
A Subsidiary of Weaver Services Private Limited
All loans are processed and serviced by Centrum Housing Finance Limited ("CHFL")

रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नंबर 301, तीसरी मंज़िल, हरभजन कमर्शियल प्रिमाइसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, CST रोड, BPCL पेट्रोल पंप के सामने, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई-400098. CIN: U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

चूंकि, नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002' के तहत 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के अधिकृत अधिकारी हैं और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी के अधिकृत अधिकारी ने नीचे बताए गए उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें नोटिस में बताई गई बकाया राशि को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, पेनल्टी ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। उधारकर्ता द्वारा राशि न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी ने उक्त एक्ट के सेक्शन 13(4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नीचे बताई गई प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और आम जनता को खास तौर पर चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन न करें; प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी लेन-देन 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के उस चार्ज (दावे) के अधीन होगा जिसमें बकाया राशि के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, पेनल्टी ब्याज, शुल्क, लागत आदि शामिल हैं। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सुरक्षित एसेट्स (संपत्ति) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में हैं।

स. क्रं.	ऋण खाता सं. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग की तिथि नोटिस और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि
1	BHOVD23009907 /निरंजन यादव /सविता बाई/ -शुभम सिंह	अचल संपत्ति का हिस्सा और टुकड़ा, जिसके अधिकार शामिल हैं पीएच नंबर 64, क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट, गाँव टीलाखेड़ी, वार्ड नंबर 39, द्वारकापुरी कॉलोनी, सर्वे नंबर 16/1/4, तहसील और ज़िला-विदिशा-464001, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व : भगवान सिंह का मकान पश्चिम : गली उत्तर : हिरदेश लोधी का मकान दक्षिण : गली	10-नवंबर-25/ रू. 315504/- रुपये (तीन लाख पंद्रह हजार पांच सौ चार मात्र)	17-08-2026

दिनांक : 22.08.2026, स्थानः मध्यप्रदेश **हस्ताक्षर/-, अधिकृत अधिकारी, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से**

एचईजी लिमिटेड

CIN : L23109MP1972PLC008290

पंजी. कार्या.: मंडीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन-462046, (म.प्र.)
फोनः 07480-233524 to 233527, 405500
कॉर्पो. कार्या.: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301, (उ.प्र.), फोनः 0120-4390300 (EPABX)
फैक्सः 0120-4277841, ई-मेलः heg.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाईटः www.hegltd.com

PROUD TO BE INDIAN PRIVILEGED TO BE GLOBAL

शेयरधारकों हेतु सूचना

क) भौतिक शेयरों के हस्तांतरण एवं डीमैटेरियलाइजेशन हेतु विशेष विंडो

सेबी के दिनांक 30 जनवरी, 2026 के परिपत्र के अनुरूप, शेयरधारकों को भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण एवं डीमैटेरियलाइजेशन हेतु अनुरोधों के जमा या पुनः-जमा करने की सुविधा प्रदान करने हेतु **05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027** तक एक विशेष विंडो पहले ही खोली जा चुकी है। यह उन प्रतिभूतियों पर लागू होता है जिन्हें 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व क्रय या विक्रय किया गया था और जिनके मूल शेयर प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं, साथ ही ऐसे पूर्व अनुरोधों पर भी लागू होता है जिन्हें अपूर्ण दस्तावेजों के कारण अस्वीकृत या वापस कर दिया गया था।

पात्र शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित अपने अनुरोध कंपनी के आरटीए को प्रस्तुत करें। इस विंडो के अंतर्गत संसाधित हस्तांतरण, सत्यापन के पश्चात केवल डीमैट रूप में ही क्रेडिट किए जाएंगे तथा ऐसी प्रतिभूतियाँ पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक लॉक-इन के अधीन रहेंगी। इस लॉक-इन अवधि के दौरान, उक्त प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, गिरवीकरण या उन पर कोई ग्रहणाधिकार चिह्नित नहीं किया जा सकेगा। यह सुविधा विवादित मामलों या 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि' में पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके शेयरों पर लागू नहीं होगी।

ख) केवाईसी अपडेट करने का अनुरोध (जिसमें पैन, बैंक खाते का विवरण, संपर्क जानकारी तथा नामांकन का विवरण शामिल है)

भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विहित प्रपत्रों का उपयोग करते हुए अपनी केवाईसी जानकारी (जिसमें पैन, बैंक खाते का विवरण, संपर्क जानकारी तथा नामांकन का विवरण शामिल है) पूर्ण करें और उसे कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), **एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड**, 179-180, डीएसआईडीसी शेड, तृतीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020 के साथ पूर्ण करें। किसी भी प्रश्न हेतु **helpdeskdelhi@mcsregistrars.com** पर ईमेल द्वारा अथवा दूरभाष संख्या 011-41406149-51 पर संपर्क किया जा सकता है। आवश्यक प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट **www.hegltd.com** पर "इन्वेस्टर सर्विस रिक्वेस्ट" अनुभाग में तथा आरटीए की वेबसाइट **https://mcsregistrars.com/downloads.php** पर उपलब्ध हैं। अदत्त/अदावा लाभांश का विवरण भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विवरण अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अद्यतन कराएँ।

कृतेः **एचईजी लिमिटेड**
(विवेक चौधरी)
कम्पनी सचिव (A-13263)

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)
दिनांकः 21 अगस्त, 2026